



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com फोन-०२९१-२६१२०८६/२६५६३५-७ फॅक्स ०२९१-२६१२०८६

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/5P1 (cum Balsnab) दिनांक:- ०१/८/२३

—:वैठक कार्यवाही विवरण:-

नगरीय विकास एवं रखायत शारन विभाग के अधिसूचना क्रमांक प. 17(1)नविष्यि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन रत्तीय समिति वैठक दिनांक 08.08.2023, उपायुक्त (जोन-6) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सापन हुई। वैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:-

एजेण्डा संख्या 01.

विषय :- जोन -6 की जोन स्तरीय समिति की वैठक दिनांक 01.08.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत वैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या	विषय
02	राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1573 से 1578 सर्वेयर अनुसार 32072.83 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ पूर्व में जेड.एल.सी. दिनांक 01/08/2023 के एजेण्डा संख्या 01 के द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान में संशोधन करने बाबत।

प्रकरण तथ्य-

(1) पूर्व में अनुमोदित ले-आउट प्लान का क्लोथ मिडिया सुपरइम्पोजिशन के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि खसरा संख्या 1574 से 1576 (करणी नगर योजना) पूर्व में वर्ष 2013 में अनुमोदित है। जिसका कुछ हिस्सा इस ले-आउट प्लान में सम्मिलित हो गया है। अतः दिनांक 01/08/2023 की जेड.एल.सी. द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान जो कि अभी तक जारी नहीं किया गया है उसे संशोधित करते हुए राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1573, 2066/1574, 1577, 1578 का ले-आउट प्लान तैयार किया गया है जिसे अनुमोदित किया जाना है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

- A. पत्रावली में सलग्न दस्तावेज अनुसार उक्त कॉलोनी वर्ष 31.12.2021 से पूर्व की है तथा पत्रावली के पैरा संख्या 2 अनुसार आवेदित भूमि पर मौके पर लगभग 40 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर मकान एवम चार दिवारी निर्मित है।
- B. सर्वेयर अनुसार योजना का क्षेत्रफल 18456.23 वर्गमीटर है।
- C. पत्रावली के पैरा संख्या 7 पर अंकित रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1573, 2066/1574, 1577, 1578 विधि शाखा में बाद लम्बित नहीं है।
- D. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 11 पर अंकित रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1573, 2066/1574, 1577, 1578 अवाप्ति विचाराधीन नहीं है।
- E. तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 21 से 22 पर सलग्न है जिसके अनुसार

- मौका अनुसार 30 फीट व राजस्व रिकार्ड अनुसार 45 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
- F. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 82 पर सलग्न सुपरइम्पोज्ड मानवित्र में आवेदित भूमि के परिचम दिशा में ZDP,31 की 24 मीटर रोड का अकन्न करने व आन्तरिक सड़कों का मार्गाधिकार न्यूनतम् 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	प्रयोजन	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्रतिशत
1.	आवासीय	11722.86	63.52
2.	Facility area(Temple)	162.48	0.88
4.	सड़क	6570.89	35.60
कुल		18456.23	100

[Handwritten signatures]

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया—

01. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि समिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
02. आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
03. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 03 सितम्बर 2021 के निर्देशानुसार रक्षा संस्थापन/स्थापना की सीमा से 500 मीटर की परिधि मे निर्माण से पूर्व रक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति लिया जाना आवश्यक है।
04. एजेण्डा के बिन्दु संख्या F के क्रम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जावे।
05. उक्त ले—आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृति नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट वैक छोड़े जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
06. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

अमीन (जोन-06)
जोधपुर विकास
प्राधिकरण

अधिशासी / सहायक
अभियन्ता
जोधपुर विकास प्राधिकरण

सहायक नगर
नियोजक (जोन-6)
जोधपुर विकास
प्राधिकरण

उपायुक्त (जोन-6)
जोधपुर विकास
प्राधिकरण

क्रमांक: F37.(3) / नि.आ./ जो.स्त.स./ 2023/ S.P (Camp) दिनांक: 15/8/2023

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन-6, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशासी / सहायक अभियन्ता, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार, जो.वि.प्रा., जोधपुर

सहायक नगर नियोजक (जोन-6)
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय
समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर